सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

केस सख्या : 94/2008

1. रामेश्वर पुत्र
2. भंवरलाल पुत्र
3. रमेश पुत्र
4. सत्यनारायण पुत्र
5. गिर्राज पुत्र
6. छोटा बेवां

मथुरालाल जातियान राठी निवासीगण रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. अधिशाषी अभियंता खेत सुधार खण्ड द्वितीय सी0ए0डी0 विभाग कोटा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आरटीएक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री विकास पोरवाल, श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 12.06.2008 निर्णय दिनांक : 31.07.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के पिता मथुरालाल पुत्र अमरलाल जाति राठी निवासी रायथल को खसरा नं0 56 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा में से 8 बीघा आराजी दिनांक 17.07.1779 को वाके माल रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां में आवंटित हुई थी। तथा उसी दिन वादीगण के पिता को आराजी पर दखल देकर दखलनामा तैयार किया गया था। तथा इंतकाल नं0 355 से वादीगण के पिता के गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। दौराने सेटलमेंट नये खसरा नं0 257 रकबा 1.06 है0 कायम किया जाकर वादीगण के पिता के खाते दर्ज किया गया। जो वर्तमान में गैरखातेदारी में दर्ज है। दौराने सेटलमेंट गत रकबे के मुकाबले 0.22 है0 कम दर्ज किया गया। जबकि सेटलमेंट विभाग को 1.28 है0 रकबा दर्ज करना चाहिए था। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो वर्तमान नक्शे व रकबे के आधार पर आराजी का प्लाट काट रहे है, इस प्रकार वादीगण के राजस्व रेकार्ड में 0.45 है0 आराजी कम दर्ज की जायेगी। अतः वादीगण के पक्ष में एक डिक्री इस आशय की प्रसारित की जावे कि वादीगण को कम हुआ रकबा 0.45 है0 पूर्ण करते हुये खसरा नं0 257 रकबा 1.28 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तथा प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपने कार्य को अंजाम नही दे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.06.2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार

जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट रिपोर्ट में अंकन कि वादी के पिता मथुरालाल पुत्र अमरलाल जाति राठी को ग्राम रायथल में सेटलमेंट से पूर्व खसरा 56/1/2 की 8 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिसके सेटलमेंट द्वारा नये खसरा नं0 257 रकबा 1.06 है0 कायम किये गये है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी का 0.22 है0 रकबा कम कर दिया गया है। इसके बाद श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रकरण सं0 989/1999 के निर्णय दिनांक 24.11.1999 से प्रार्थी का रकबा 0.23 है0 रकबा कम करके देवलाल पुत्र धन्ना माली के गैरखातेदारी में नामा0 संख्या 334 से दर्ज कर दिया है। इस प्रकार वादी को 0.45 है0 कमी रकबा दर्ज हुआ है। उक्त आराजी का केचमेंट हो चुका है जिसके नये खसरा नं0 2534 रकबा 0.80 है0 कायम किये है जिस पर नामा0 सं0 1693 दिनांक 10.06. 2016 से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। बाद केचमेंट प्रार्थी के खसरा नं0 2534 के समीपवर्ती खसरा नं0 2533 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह दर्ज किया गया है प्रार्थी आराजी खसरा नं0 2533 पर काश्त कर रहा है। अन्य समीपवर्ती खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही होने से कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम रायथल के 2533 में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे 0.45 है0 की पूर्ति हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रकरण सं0 989/1999 के निर्णय दिनांक 24.11.1999 से प्रार्थी का रकबा 0.23 है0 रकबा कम करके देवलाल पुत्र धन्ना माली के गैरखातेदारी में नामा0 संख्या 334 से दर्ज कर दिया है। इस प्रकार वादी को 0.45 है0 कमी रकबा दर्ज हुआ है। प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 2533 के समीपवर्ती खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही होने से कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी की आराजी के समीपस्थ खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही पाये जाने से कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है ना ही वादीगण ने वाद पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। वादी वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना